न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 04 / 2025

रामरतन पुत्र मूलाराम जाति जाट तहसील दूदू, जिला जयपुर, राजस्थान

(अपीलार्थी)

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार दूदू, जिला जयपुर, राजस्थान ।

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व निर्णय

दिनांक 13.07.2021 तहसीलदार दूदू

उपस्थित :–

1. श्री इमरान खान विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की और से।

2 पैरोकार सरकार ।

निर्णय

दिनांक :– 18.06.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत हल्का पटवारी हरसौली की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार दूदू ने कृषि भूमि वर्ष 2077 के दौरान तहसील दूदू के ग्राम हरसौली के खसरा नम्बर 2072 रकबा 2.34 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 1.00 हैक्टैयर पर अतिचारी मानते हुये धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलार्थी को 60 दिवस का सिविल कारावास व 100/– रूपये पेलेन्टी लगाने का आदेश दिनांक 13.07.2021 को पारित किया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को बिना समझे एवं वास्तविक तथ्यों की जांच किये बिना कतई परवर्स निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी के न्यायालय में उपस्थित होने के बाद भी मनमानी तरीके से एकतरफा कार्यवाही करके निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का रसौली ने असत्य रिपोर्ट पेश की जबकि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1314, 2048, 2049, 2068, 2069 कुल किता 5 कुल रकबा 12.2500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1312 व 1319 खसरे 2 रकबा 0.2000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 2149 कुल खसरा 1 रकबा 3.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2181, 2182 कुल खसरे 2 रकबा 4.3300 हैक्टेयर है, जो उपरोक्त राजकीय भूमि के लगवा है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त वर्णित सभी कृषि भूमि का सीमाज्ञान किया जाना अति आवश्यक था बिना सीमाज्ञान ये तय नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी ने कैसे अतिचार किया। अपीलार्थी की लगवा भूमि होने से पटवारी हल्का ने असत्य रिपोर्ट पेश की जिसके आधार पर विद्वान तहसीलदार द्वारा आलोच्य निर्णय पारित किया। अपीलार्थी की कृषि भूमि जो खसरा नम्बर 2072 के लगवा है, जिसमें सीमा चिन्ह अंकित नहीं है तथा खसरा नम्बर 2072 सम्पूर्ण का आज तक विधिवत सीमाज्ञान नहीं हुआ है और न ही खसरा नम्बर 2072 में कोई सीमा चिन्ह् अंकित है। पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवश अपीलार्थी को अतिकमी बनाने के लिये बिना किसी सीमाज्ञान के रिपोर्ट पेश की है, जिसके आधार पर अपीलार्थी को सजा करने का निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी गरीब कृषक है जो अपनी ही कृषि पर काबिज है। अपीलार्थी के द्वारा चारागाह भूमि में किसी भी प्रकार का कोई अतिकमण नहीं कर रखा है। रेस्पोडेण्ट ने अपीलार्थी के विरूद्ध जो कार्यवाही की गयी है, वह बाला–बाला सीधे तौर पर बिना सुनवाई किये बगैर अपना निर्णय पारित किया है, जो विधि विधान के विपरित होने से व लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों के विपरित होने से प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त फरमाने योग्य है। अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 02.07.2021 को कार्यवाही की गयी है, तत्पश्चात दिनांक 13.7.2021 को ही अपना निर्णय पारित कर दिया है, रेस्पोडेन्ट ने कार्यवाही अपनी बदनियतीपूर्वक मनमानी तरीक से की है। निर्णय के संबंध में प्रति दिनांक 29.07.2021 को प्राप्त किये जाने के बाद ये अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है जो अन्दर मियाद है, जबकि अपीलार्थी ने मौके पर वर्णित आराजीयात पर मौके पर कोई अतिकमण नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार दूदू के निर्णय दिनांक 13.07.2021 को अपास्त फरमाया जावें।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई।

3. वकील अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत् मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत पेश किया, जिस पर प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मौजमाबाद के पत्रांक राजस्व/कोर्ट/24/79 दिनांक 13.02.2024 की मौका स्थिति रिपोर्ट के अनुसार ग्राम हरसौली के आराजी खसरा नम्बर 2072 किस्म चरागाह पर करीब 5 बीघा भूमि पर अतिकमी रामरतन पुत्र मूलाराम जाट निवासी हरसौली स्वयं द्वारा कांटों की बाड लगाकर अतिकमण कर रखा है उक्त चरागाह भूमि पर काश्त नहीं है।

4. प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खसरा नम्बर 2072 किस्म चरागाह ग्राम हरसौली तहसील दूदू के संबंध में पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश कर अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी का चरागाह भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपीलार्थी की खातेदारी भूमि के लगवा चरागाह भूमि होने से गलत रूप से बिना सीमाज्ञान किये ही धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही की गई है। सिविल कारावास एवं जुर्माना भी गलत रूप से आरोपित किया गया है। वर्तमान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का चरागाह पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश दिनांक 13.07.2021 खारिज फरमाया जावें।

6. पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलार्थी ने वर्ष 2021 फसल खरिफ में खसरा नम्बर 2072 रकबा 2.34 हैक्टेयर में से 1.00 हैक्टेयर भूमि पर पुनः कब्जा कर मूंग की फसल काश्त की। खसरा नम्बर 2072 की भूमि चरागाह भूमि है। दिनांक 13.02.2024 की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम हरसौली के आराजी खसरा नम्बर 2072 किस्म चरागाह पर करीब 5 बीघा भूमि पर अतिक्रमी रामरतन पुत्र मूलाराम जाट निवासी हरसौली स्वयं द्वारा कांटों की बाड लगाकर अतिक्रमण कर रखा है उक्त चरागाह भूमि पर काश्त नहीं है। अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 एल. आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से सिविल कारावास के दण्ड एवं पैनल्टी आरोपित की गई है जो विधि सम्मत है, इसलिए निर्णय दिनांक 13.07.2021 यथावत रखा जाकर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावें।

7. उभयपक्ष की बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया । पत्रावली का भलीभॉती अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम हरसौली, तहसील दूदू के ख0न0 2072 रकबा 2.34 हैक्टेयर में से 1.00 है0 किस्म चरागाह भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर मूंग की फसल काश्त की है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19.12.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। जिसके अनुसार पूर्व अतिक्रमित भूमि पर वर्तमान में अपीलार्थी का ग्राम हरसौली के आराजी खसरा नम्बर 2072 किस्म चरागाह पर करीब 5 बीघा भूमि पर कांटों की बाड लगाकर अतिक्रमण कर रखा है उक्त चरागाह भूमि पर काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज. भू. राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये, अपीलार्थी नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को चरागाह भूमि से बेदखल कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा के आदेश दिनांक 13.07.2021 को पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा चरागाह भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल काश्त करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार राज. भू राजस्व अधि. की धारा 91 के तहत अपीलार्थी के विरूद्व कार्यवाही की है जो उचित है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 14/2021 बउनवानी सरकार बनाम रामरतन में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2021 आदेश यथावत रहेगा।

8. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत तहसीलदार दूदू को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति0 जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner